

1
पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग
12/06/17

बिहार सरकार

पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग

संचिका सं०-1/छात्रवृत्ति-रा०यो०-प्री-मैट्रिक-06/2010-30

पटना, दिनांक- 12/06/17

सेवा में,

महालेखाकार,
बिहार, पटना।

विशय:- वित्तीय वर्ष 2017-18 में राज्य योजना के अन्तर्गत पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग के छात्र/छात्राओं के लिए प्राथमिक, मध्य एवं उच्च विद्यालय छात्रवृत्ति प्रदान करने हेतु कुल रु० 83694.14 लाख (रु० आठ अरब छत्तीस करोड़ चौरानबे लाख चौदह हजार) मात्र की स्वीकृति।

आदेश- स्वीकृत।

राज्य सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2017-18 में राज्य योजना के अन्तर्गत पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग के छात्र/छात्राओं के लिए प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति अंतर्गत उच्च विद्यालय छात्रवृत्ति (197 ब्लॉक पंचायत अंतर्गत) मद में रु० 9450.00 लाख, प्राथमिक एवं मध्य विद्यालय छात्रवृत्ति (198 ग्राम पंचायत अंतर्गत) मद में रु० 18050.00 लाख, उच्च विद्यालय छात्रवृत्ति (277 शिक्षा), प्राथमिक एवं मध्य विद्यालय छात्रवृत्ति (277 शिक्षा) मद में कुल रु० 78294.14 लाख अर्थात् रु० 105794.14 लाख मात्र का बजट उपबन्ध किया गया है। उक्त बजट उपबन्ध के विरुद्ध उच्च विद्यालय छात्रवृत्ति (197 ब्लॉक पंचायत अंतर्गत) मद में रु० 9450.00 लाख, प्राथमिक एवं मध्य विद्यालय छात्रवृत्ति (198 ग्राम पंचायत अंतर्गत) मद में रु० 18050.00 लाख, उच्च विद्यालय छात्रवृत्ति (277 शिक्षा), प्राथमिक एवं मध्य विद्यालय छात्रवृत्ति (277 शिक्षा) मद में रु० 56194.14 लाख अर्थात् कुल रु० 83694.14 लाख (रु० आठ अरब छत्तीस करोड़ चौरानबे लाख चौदह हजार) रूपये मात्र प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति हेतु संलग्न विवरणी के अनुसार स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2- उक्त संपूर्ण राशि का व्यय भार वर्तमान वित्तीय वर्ष 2017-18 के राज्य योजना माँग संख्या-11 के अंतर्गत आय-व्ययक शीर्ष "2225-अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण-03-पिछड़े वर्गों का कल्याण के निम्नलिखित लघु/उपशीर्ष में भारित होंगे:-

(क)- 197 ब्लॉक पंचायतों/मध्यवर्ती स्तर की पंचायतों की सहायता-0101-छात्रवृत्ति/वजीफा -विषय शीर्ष -31.06 सहायता अनुदान-गैर वेतन विपत्र कोड-11-2225031970101.

(ख)- 198-ग्राम पंचायतों को सहायता-0101 छात्रवृत्ति/वजीफा- विषय शीर्ष -31.06 सहायक अनुदान-गैर वेतन विपत्र कोड-11-2225031980101.

(ग)- 277-शिक्षा-0101-शिक्षा- विषय शीर्ष-34-छात्रवृत्ति/वजीफा(34.01-छात्रवृत्ति/वजीफा) विपत्र कोड-11-2225032770101.

3- इस राशि के लिए निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संबंधित जिला के जिला कल्याण पदाधिकारी होंगे। इस योजना के नियंत्री पदाधिकारी संबंधित जिला के उप विकास आयुक्त होंगे।

4- साथ ही जिला पदाधिकारी अपने स्तर से पूरी प्रक्रिया का अनुश्रवण करते हुए त्रुटिरहित छात्रवृत्ति वितरण सुनिश्चित करेंगे।

5- प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति भुगतान उन्हीं छात्र/छात्राओं को किया जाय जिनकी कक्षा में 75% या उससे अधिक उपस्थिति हो, एवं उन्हें पूर्व वर्ष की निर्धारित दर पर छात्रवृत्ति दी जाय। छात्र/छात्राओं की उपस्थिति की संख्या शिक्षा विभाग के प्रतिवेदन के आधार पर होगी। जिला कल्याण पदाधिकारी विद्यालय छात्रवृत्ति की राशि की निकासी कर RTGS/NEFT के माध्यम से जिला शिक्षा पदाधिकारी के मांग के आलोक में संबंधित विद्यालय शिक्षा समिति/विद्यालय प्रबंधन समिति के खाता में राशि का अन्तरण करेंगे। जिला शिक्षा पदाधिकारी के दिशा-निदेश में प्रखण्ड शिक्षा पदाधिकारी पूर्व में निर्धारित नियमानुसार छात्रवृत्ति का वितरण सुनिश्चित करेंगे। जिला शिक्षा पदाधिकारी द्वारा छात्रवृत्ति हेतु व्यय किये गये राशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र शिक्षा विभाग के निर्धारित प्रपत्र में एवं निर्धारित समय-सीमा के अन्दर छात्रवार संबंधित विद्यालय शिक्षा समिति/विद्यालय प्रबंधन समिति से प्राप्त कर जिला कल्याण पदाधिकारी को प्रेषित किया जाना सुनिश्चित करेंगे।

6- संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी राशि की निकासी एवं व्यय वित्त विभाग के द्वारा निर्गत परिपत्र संख्या-2561, दिनांक-17.04.1998, संकल्प ज्ञापांक -3808 दिनांक 02.06.2017 तथा समय-समय पर वित्त विभाग/राज्य सरकार द्वारा निर्गत अन्य परिपत्रों में निहित निदेशों के आलोक में करेंगे।

7- संबंधित जिला कल्याण पदाधिकारी व्यय से संबंधित उपयोगिता प्रमाण पत्र विभाग को उपलब्ध करायेंगे।

8- निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी स्वीकृत राशि के समुचित एवं नियमानुसार उपयोग हेतु पूर्ण उत्तरदायी हों किसी जिले में उक्त स्वीकृत राशि के व्यय होने की संभावना नहीं होने पर फरवरी 2018 में अवशेष राशि विभाग क निश्चित रूप से प्रत्यर्पित कर दी जाय। अनावश्यक रूप से राशि कोशागार से निकासी के बाद अव्यवहृत नहीं रखा जाय। राशि की निकासी उतनी ही की जाय, जिसका वास्तविक उपयोग दिनांक-31.03.2018 तक हो सके एवं इस तिथि के बाद कोई राशि बैंक ड्राफ्ट/बैंक खाता/नकद के रूप में नहीं रखा जाय।

9- विद्यालय छात्रवृत्ति की स्वीकृति एवं वितरण विभागीय संकल्प संख्या-53 दिनांक-12.11.2012 एवं पत्रांक-58 दिनांक-12.01.2013 के आलोक में किया जायेगा।

10- उक्त स्वीकृत राशि की निकासी **BTC Form-43** से संबंधित विपत्र पर की जायेगी।

11- स्वीकृत की जा रही राशि वर्तमान वित्तीय वर्ष 2017-18 में उपलब्ध योजना उद्व्यय एवं बजट के अन्तर्गत है।


12- प्रस्ताव में आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है।

13- प्रस्ताव में माननीय उप मुख्य (पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण) मंत्री का अनुमोदन प्राप्त है।

14- सभी संबंधित पदाधिकारियों को इस राशि के स्वीकृति की सूचना दी जा रही है।

15- कृपया पत्र प्राप्ति की सूचना दी जाय।

बिहार राज्यपाल के आदेशानुसार,


(प्रेम सिंह मीणा),

सरकार के सचिव।

ज्ञापांक-1/छात्रवृत्ति-रा0यो0-प्री-मैट्रिक-06/2010- 30.

पटना, दिनांक- 12.06.2017


प्रतिलिपि:- विवरणी सहित वित्त विभाग (बजट शाखा) बिहार, पटना/योजना एवं विकास विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

(2) प्रधान सचिव, शिक्षा विभाग/सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी को विवरणी की प्रति के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

(3) सभी जिला कोषागार पदाधिकारी/उप कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

(4) सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी/सभी उप विकास आयुक्त/सभी प्रमण्डलीय उप निदेशक, कल्याण/सभी जिला कल्याण पदाधिकारी/उप सचिव पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग बिहार, पटना/अवर सचिव पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग, बिहार, पटना/पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम, सोन भवन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।


(5) अवर सचिव, प्रभारी बजट शाखा पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग, बिहार, पटना/आईटी0मैनेजर पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।


सरकार के सचिव।

ज्ञापांक सं0-1/प्री-मैट्रिक के0प्रा.यो0-07/2010- 30

पटना, दिनांक- 12.06.2017


प्रतिलिपि:- सचिव के आप्त सचिव पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग, कल्याण विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।


सरकार के सचिव।

ज्ञापांक-1/छात्रवृत्ति-रा0यो0-प्री-मैट्रिक-06/2010- 30

पटना, दिनांक- 12.06.2017

प्रतिलिपि:- माननीय उप मुख्य (पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग) मंत्री के आप्त सचिव पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।


सरकार के सचिव।


वित्तीय वर्ष 2017-18 में राज्य योजना के अन्तर्गत पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग के छात्र/छात्राओं के लिए प्राथमिक, मध्य एवं उच्च विद्यालय छात्रवृत्ति मद में स्वीकृत होने वाली राशि की सूची :-

क्र०	जिला का नाम	उच्च विद्यालय छात्रवृत्ति	प्राथमिक एवं मध्य विद्यालय छात्रवृत्ति	प्राथमिक, मध्य एवं उच्च विद्यालय छात्रवृत्ति	कुल आवंटित राशि
		197 ब्लॉक पंचायत	198 ग्राम पंचायत	277-शिक्षा	
1	2	3	4	5	6
1	पटना	387.00	739.00	2300.00	3426.00
2	नालंदा	232.00	444.00	1383.00	2059.00
3	रोहतास	269.00	513.00	1596.00	2378.00
4	भभुआ	141.00	269.00	839.00	1249.00
5	भोजपुर	246.00	469.00	1459.00	2174.00
6	बक्सर	169.00	323.00	1006.00	1498.00
7	गया	306.00	585.00	1820.00	2711.00
8	जहानाबाद	104.00	198.00	617.00	919.00
9	अरवल	80.00	153.00	476.00	709.00
10	नवादा	202.00	385.00	1196.00	1783.00
11	औरंगाबाद	236.00	452.00	1406.00	2094.00
12	सारण	411.00	785.00	2446.00	3642.00
13	सिवान	289.00	552.00	1720.00	2561.00
14	गोपालगंज	253.00	483.00	1503.00	2239.00
15	मुजफ्फरपुर	417.00	796.00	2479.00	3692.00
16	सीतामढ़ी	344.00	657.00	2045.00	3046.00
17	शिवहर	61.00	116.00	362.14	539.14
18	प० चम्पारण	320.00	612.00	1903.00	2835.00
19	पू० चम्पारण	494.00	943.00	2937.00	4374.00
20	वैशाली	308.00	588.00	1830.00	2726.00
21	दरभंगा	293.00	559.00	1740.00	2592.00
22	मधुबनी	451.00	861.00	2681.00	3993.00
23	समस्तीपुर	395.00	755.00	2349.00	3499.00
24	सहरसा	192.00	367.00	1143.00	1702.00
25	सुपौल	232.00	445.00	1384.00	2061.00
26	मधुपुरा	236.00	452.00	1406.00	2094.00
27	पूणिया	334.00	637.00	1984.00	2955.00
28	अररिया	277.00	530.00	1650.00	2457.00
29	किशनगंज	91.00	172.00	537.00	800.00
30	कटिहार	262.00	500.00	1556.00	2318.00
31	भागलपुर	287.00	549.00	1710.00	2546.00
32	बाँका	202.00	386.00	1204.00	1792.00
33	मुँगेर	133.00	255.00	793.00	1181.00
34	लखीसराय	101.00	191.00	597.00	889.00
35	शेखपुरा	60.00	115.00	356.00	531.00
36	जमुई	173.00	331.00	1031.00	1535.00
37	खगड़िया	187.00	357.00	1113.00	1657.00
38	बेगूसराय	275.00	526.00	1637.00	2438.00
	कुल योग:-	9450.00	18050.00	56194.14	83694.14

(रूपये आठ अरब छत्तीस करोड़ चौरानबे लाख चौदह हजार) मात्र

पत्रांक-30

दिनांक - 12.06.17 का अनुलग्नक



(प्रेम सिंह मीणा)

सरकार के सचिव ।